



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2(63)परावि/प्रशा.1/RRDS/संस्था/2010-06437/ जयपुर,दिनांक:-

—: आदेश :—

श्री कालूराम मीणा, RRDS, हाल आदेशों की प्रतीक्षा में, पंचायती राज विभाग, जयपुर को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रतिनियुक्ति पर निम्न शर्तों के अध्ययधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त अधिकारी की विभाग को आवश्यकता होने पर प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
2. विभाग में पुनः लौटने पर मूल पद के वेतनमान/भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. विभागीय नियुक्ति आदेश (जिसके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को नियुक्ति दी गयी है) में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।
4. यह प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(47)वित्त/गुप-2/82 दिनांक 22.2.86 (समय समय पर यथासंशोधित) में वर्णित शर्तों के अधीन रहेगी।
5. यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये है, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी-यूआईडी एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक ML-4085 दिनांक 01.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. श्री कालूराम मीणा, RRDS, हाल आदेशों की प्रतीक्षा में, पंचायती राज विभाग, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
10. निजी पत्रावली/आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

RajKaj Ref
5539014

